अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्विजिशन आफिसर को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग के समक्ष उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्विजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :--

क्रम-सं०	अधिकारी का नाम	जिला
१	श्री अम्बा प्रसाद	बनारस।
२	,, विजेन्द्र सिंह	फैजाबाद।
३	,, कैलाश हुसैन	झांसी।
४	,, श्रीनाथ शर्मा	गोरखपुर।

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ४९२१/१-य--२०६-५४--स्पेशल एक्विजिशन एक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री करुणा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

वन विभाग

छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४--६०(१)-५५--श्री आर० एन० पी० एफ० एस०, डिप्टी कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स को २२ सितम्बर १९५५ ई० से ३१ दिन की अवकाश छुट्टी की आज्ञा दी जाती है। उन्हें २३ से २६ सितम्बर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य छुट्टियां उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी जाती है।

नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४--६०(१)-५५--कार्यालय पत्र की तारीख से श्री श्रीवास्तव, पी० एफ० एस०, सहायक कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० मेरोत्रा, पी० एफ० के स्थान पर, जिनकी छुट्टी की गई है, स्थानापन्न डिप्टी कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स, फालापाड़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जाता है।

विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० १२०८/१४--उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० सात २६) की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस समय तक अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर २ के निदेश इस अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

अनुसूची

क्रम-संख्या	भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत दर्शित वन घोषित की गई है	जिला	सड़क की लम्बाई मीलों में	सीमा का
			मी० फ० फी०	
१	ग्रेंड ट्रंक रोड, मील ५९२/० से लेकर मील ६५३/० तक	कानपुर	७१ " "	जमीन को हुए... का सीमेंट के... लाइनों द्वा... पर की गई...
२	कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ९६/० तक	"	४४ " "	"
३	कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील ३/० से लेकर मील ५९/० तक	"	५७ " "	"
४	मोहद्दमुगल रोड, मील ११९/० से मील १७३/० तक	"	५४ " "	"
५	लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४०	लखनऊ और उन्नाव	४६ ३ ६४०	"
६	लखनऊ-बरेली सड़क मील /० से लेकर मील ४५.२/० तक	लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बरेली	१५२ " "	"
७	लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक	लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़	१०८ " "	"
८	लखनऊ-सुल्तानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१ २२८ फीट तक	लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर	८५ १ २२८	"
९	लखनऊ-फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७९/५ ३६६ फी० तक	लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद	७९ ५ ३६६	"

प्रभागीय वनाधिकारी
अवध वन प्रभाग

21/475 प्रतिलिपि प्रकाशन करें।

(प्रकाश गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
शाहजहाँपुर

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
उप प्रभागीय वनाधिकारी
पुवायाँ

अमित रंजन मिश्रा
(परियोजना निदेशक)
भा०रा०रा० प्राधिकरण
प०का०ई०-बरेली